

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 156/2011/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक प्रथम,
जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. अनूप कुमार खन्ना पुत्र श्री श्याम लाल
2. हरीश कुमार खन्ना पुत्र श्री श्याम लाल
- निवासी-2/133, जवाहर नगर, जयपुर
3. श्रीमति सौभाग्य मल्होत्रा पुत्र श्री के.सी. मल्होत्रा
- निवासी-राजापार्क स्कीम नम्बर 6, जयपुर

अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है

निर्णय दिनांक: 09.11.2016

निर्णय

यह निगरानी राजस्व की ओर से राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर (जिसे आगे कलेक्टर (मुद्रांक) कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 688/2010 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने स्वामित्व का प्लॉट, जो अर्जुन लाल सेठी नगर, जवाहर नगर, जयपुर में स्थित है, अप्रार्थी के पक्ष में 24.07.1991 को विक्रय इकरारनामा किया। अप्रार्थी ने उक्त इकरारनामा को पूर्ण मुद्रांकित करवाने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष दिनांक 05.08.2010 को प्रस्तुत किया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने इकरारनामा निष्पादन हेतु उप पंजीयक की तत्समय की मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक के रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.07.1991 को प्रभावी डी एल सी दर मालियत रु. 6,87,880/- निर्धारित कर तत्समय प्रचलित मुद्रांक कर अनुसार कमी मुद्रांक कर रु. 85,155/- देय माना है। कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2010 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर का निर्णय दिनांक 05.08.2010 कानून, तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अविधिक है। उनका कथन है कि कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीकृत करने की दिनांक 05.08.2010 को प्रभावी डल एल सी दर से मालियत का निर्धारित किया जाना चाहिए ना कि इकरारनामा किये जाने की दिनांक 24.07.1991 को प्रचलित डी एल सी दर से। उक्त कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स



खण्डाका जैन ज्वैलर्स के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 के प्रकरण में पारित निर्णय का न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किया। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण को सुनवाई तिथि हेतु दैनिक अखबार में प्रकाश के जरिए सूचना प्रकाशित की गई थी किन्तु उक्त प्रकाशन के पश्चात भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए निगरानी के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय संगत निर्णय पारित किया जा रहा है।

राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 05.08.2010 को कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इकरारनामा को पूर्ण मूद्रांकित करवाने के आदेश प्रदान करावें। कलेक्टर (मुद्रांक) ने प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत दिनांक 05.08.2010 के स्थान पर जिस दिनांक अर्थात् 24.07.1991 को इकरारनामा सम्पादित किया गया है को प्रभावी डी एल सी दर से गणना कर प्रश्नगत प्लॉट की मालिकता निर्धारित कर इकरारनामा पर सम्यक मुद्रांकन कर प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय दिनांक 05.08.2010 पारित किया है। राजस्व की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थी ने इकरारनामा दिनांक 24.07.1991 को निष्पादित किया है किन्तु इकरारनामे से सम्बन्धित प्रश्नगत सम्पत्ति की मालिकता निर्धारित कर पंजीकृत करने हेतु कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर के समक्ष 05.08.2010 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय उच्चतम न्यायालय के राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 के प्रकरण में पारित निर्णय का अवलोकन करना समीचीन होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."


इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 731 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया



गया है कि विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल किया जाकर ही पंजीबद्ध किया जा सकता है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में जिस तिथि को दस्तावेज पंजीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा उस तिथि की प्रभावी डी एल सी दर से मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल किए जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वर्तमान प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर ने इकरारनामा निष्पादित दिनांक को प्रभावी डी एल सी दर से प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत निर्धारित कर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल किये जाने का 05.08.2010 पारित किया है, जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के प्रकाश में उचित नहीं है इसलिए कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर के निर्णय दिनांक 05.08.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उप पंजीयक प्रथम, जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अप्रार्थी द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 05.08.2010 को प्रभावी डी एल सी दर से प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत का निर्धारण कर उस पर देय मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल कर दस्तावेज को पंजीकृत करने की कार्यवाही करें। फलस्वरूप राजस्व की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य